क्रम संख्या–11 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 जनवरी, 2020 ई0

पौष 30, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 32 / XXXVI (3) / 2020 / 63(1) / 2019

देहरादून, 20 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 16 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 11 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड राज्य में फल पौधशालाओं के अनुज्ञा पत्र देने और उनके विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो;

संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019'' है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी जो अपर सचिव से निम्नतर पंक्ति का न हो, अभिप्रेत है;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत वांछित कार्य करने हेतु शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त/नामांकित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ग) ''निदेशक'' से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(घ) फल पौधशाला'' से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहाँ फल की पौधों का प्रवर्धन, प्रबन्धन और विक्रय कारोबार के नियमित अनुक्रम में किया जाता है एवं इसके अन्तर्गत व्यवसायिक टिश्युकल्चर इकाई/लैब एवं सरकार द्वारा प्रबन्धित फल पौधशाला भी सम्मिलित है;

(ड) "फल की पौध" से ऐसे पौधे अभिप्रेत हैं जो खाने योग्य फल या गिरीदार फल उत्पादित कर सके और इसके अन्तर्गत गूटी (gootee), बीजू पौधे (seedlings) कलम (graft), भूस्तारी (suckers)दाब डाली (layer), कन्द (bulb), प्रकन्द (rhizomes)और ऐसे किसी पौधे की कलम (scion)भी सम्मिलित है;

(च) "निरीक्षक अधिकारी" से विभाग के तकनीकी अधिकारी, जो वर्ग–1 के अधिकारी से निम्नतर पंक्ति का न हो अभिप्रेत है;

(छ) "अनुज्ञा पत्र" से इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनुज्ञा पत्र अभिप्रेत है;

(ज) "अनुज्ञा पत्र धारक" से तत्समय अनुज्ञा पत्र धारक अभिप्रेत है;

(झ) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण चौबटिया, रानीखेत अभिप्रेत है;

(ञ) "पौधशाला स्वामी" से किसी फल पौधशाला के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसका ऐसी पौधशाला के कार्यकलाप पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत ऐसी पौधशाला का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति या शासकीय पौधशाला के नियंत्रक प्राधिकारी (ए0डी0ओ0 / अधीक्षक / पौधाशाला विकास अधिकारी / जिला / मुख्य उद्यान अधिकारी अथवा प्रभारी, पौधशाला) भी सम्मिलित है;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अर्न्तगत बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "मूलवृन्त (root-stock)"से कोई ऐसी फल की पौध या उसका भाग अभिप्रेत है जिस पर उच्च गुणवत्ता युक्त किसी फल की पौध के किसी भाग की कलम या ऑख लगाई जाती है;

(ड) "उपरोपिका (scion)" / "शांकुर शाख (budwood)" से किसी फल पौध का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो मूलवृन्त (root-stock) पर ऑख के रूप में लगाया जाता है;

(ढ) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

फल पौधशाला का अनुज्ञा पत्र

3. (1) कोई भी व्यक्ति/प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के पश्चात् या उस दिनांक से जब वह किसी फल पौधशाला का प्रथम बार स्वामी बनता हो, उसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीन माह की समाप्ति के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा पत्र के बिना फल पौधशाला का कारोबार संचालित नहीं करेगा और न ही उसे जारी रखेगा। अधिनियम के प्रवृत्त होने से तीन माह के भीतर सभी विद्यमान फल पौधशालाओं को अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) जहाँ एक व्यक्ति/संस्था के स्वामित्व में एक से अधिक फल पौधशालाऐं हो, चाहे एक ही नगर या ग्राम में हो या विभिन्न नगरों या ग्रामों में हो, वहाँ ऐसी प्रत्येक फल पौधशाला के लिए अलग-अलग अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।

अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन

4. (1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञा पत्र हेतु ऐसा प्रत्येक आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ दिया जायेगा।

(2) अनुज्ञा पत्र हेतु किये गये आवेदन के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की सत्यता हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा पौधशाला का निरीक्षण किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञा पत्र नहीं दिया जायेगा, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि-

(क) वह फल पौधशाला ऐसे फल के पौधों के लिये, जिनके संबंध में अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिए आवेदन किया गया है,उन्नत उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है; अथवा

(ख)आवेदक ऐसे फल पौधशाला को संचालित करने के लिए सक्षम नहीं है; अथवा

(ग)आवेदन-पत्र के साथ विहित शुल्क जमा नहीं दिया गया है; अथवा

(घ)आवेदक इस अधिनियम या इसके के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ है।

(4) आवेदक को उद्यान कार्ड एवं आधार कार्ड धारक होना आवश्यक होगा।

(5) अनुज्ञा पत्र धारक इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमो या अनुज्ञा पत्र की शर्तो के अधीन विहित प्रपत्रों के विभिन्न अभिलेख पौधशाला में संरक्षित रखेगा।

(6) अनुज्ञा पत्र धारक को अनुज्ञा पत्र लेने के पश्चात् राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अनुज्ञा पत्र की शर्ते

5. (1) पौधशाला स्वामी को पौधशालाओं से सम्बन्धित सामान्य शैक्षिक ज्ञान होना आवश्यक होगा।

(2) 1.0 हे0 अथवा 1.0 हे0 से अधिक के फल पौधशाला स्वामी / अनुज्ञा पत्र धारक को उद्यान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के किसी संस्थान अथवा राज्य के कृषि / औद्यानिक विश्वविद्यालयों, से पौधशाला प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पौधाशाला प्रबन्धन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा इसकी अनुशंसा की जायेगी।

(3) फल पौधशाला स्वामी के पास न्यूनतम, 0.20 है0 निजी भूमि अथवा तीस वर्ष के लिये पंजीकृत पट्टा भूमि होनी आवश्यक है और साथ ही 0.20 है0 भूमि वाली पौधशाला के लिए एक फसल से अधिक के लिए अनुज्ञा पत्र नही दिया जायेगाः

परन्तु यह कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल पौधशाला स्वामी के पास न्यूनतम 0.10 है0 भूमि का होना आवश्यक होगा।

(4) फल पौधशाला की स्थापना हेतु मातृवृक्ष खण्ड का होना (mother block) आवश्यक होगा।

(5) फल पौधशाला की स्थापना हेतु मृदा, जलवायु एवं फल पौध प्रवर्धन के लिए निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति दी जायेगी।

अनुज्ञा पत्र की वैधता अवधि और उसका नवीनीकरण

6. (1) धारा 4 के अधीन दिया गया अनुज्ञा पत्र तीन कैलेण्डर वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। इस निमित्त निर्धारित प्रारूप पर आवेदन–पत्र और विहित शुल्क देने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र अगले दो वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(2) अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण निर्धारित प्ररूप पर आवेदन पत्र व निर्धारित शुल्क जमा करने एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि समाप्त होने के पूर्व पौधशाला से सम्बन्धित 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अगले दो वर्ष के लिये किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत नहीं किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि:–

(क) अनुज्ञा पत्र धारक ने धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या अनुज्ञा पत्र के निबन्धनों और शर्तों के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है, या

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान हैं।

अनुज्ञा पत्र का निलम्बन या निरस्त किया जाना

7. (1) इस अधिनियम के अधीन किया गया अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि:–

(क) धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है; अथवा

(ख) अनुज्ञा पत्र धारक ने फल पौधशाला पर अधिकार या नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः छोड़ दिया है या उसका संचालन बन्द कर दिया है; अथवा

(ग) अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं अधिनियम के उपबन्धों का पालन न किया गया हो; अथवा

(घ) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं पंजिकायें मांगे जाने पर यदि अनुज्ञा पत्र धारक अभिलेख / पंजिकाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं या उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करते हैं; अथवा

(ड) निर्धारित समय में अनुज्ञा / पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया गया है; अथवा

(च) कोई अन्य सुसंगत विधिक कारण विद्यमान है।

(2) अनुज्ञा पत्र का निलम्बन या निरस्त किये जाने का आदेश जारी होने के पश्चात् अनुज्ञा पत्र धारक अनुज्ञा पत्र संबंधित प्राधिकारी को वापस करेगा।

(3) जहाँ कोई अनुज्ञा पत्र निलंम्बित या निरस्त किया जाता है, वहॉ अनुज्ञा पत्र धारक न तो किसी प्रतिकर का और न ही अनुज्ञा पत्र के लिए उसके द्वारा दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा तब तक कोई कार्यवाई नहीं की जायेगी जब तक अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) उपधारा (1) के अधीन जारी किये जाने वाले प्रत्येक आदेश की प्रति अनुज्ञा पत्र धारक को प्रेषित की जायेगी।

आदेश जारी करना

8. (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3)के अधीन अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार करने अथवा धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से इन्कार करने अथवा धारा 7 के अधीन अनुज्ञा पत्र को निलम्बित अथवा निरस्त करने का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा, और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेगें। ऐसा प्रत्येक आदेश निर्गत करने के पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आवेदक या अनुज्ञा पत्र धारक को यथास्थिति, 30 कार्यदिवस के भीतर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश देने के पूर्व अनुज्ञप्ति प्राधिकारी यथास्थिति, आवेदक

या पंजीकृत पौधशाला स्वामी, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति

9\. यदि धारा 4 के अधीन जारी अनुज्ञा पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या किसी अन्य प्रकार से पढ़ने योग्य न रह जाय, तो पौधशाला स्वामी द्वारा आवेदन किये जाने पर और विहित शुल्क जमा करने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञा पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा।

अपील

10\. (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा पत्र जारी करने से इन्कार करने या धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उसे नवीनीकृत करने से इन्कार करने या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन निलम्बित या निरस्त करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना की दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा:

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी किसी युक्तियुक्त कारण से विनिर्दिष्ट अवधि में अपील नहीं कर सका था।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश धारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति

11\. राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैधता एवं औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगी और उसका परीक्षण कर सकेगी तथा उस पर ऐसा आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार धारा 10 के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहते हुए या ऐसी अपील के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के पूर्व इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी;

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी मामले के अभिलेख माँगती है, तो इस धारा के अधीन कोई आदेश जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक नहीं देगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

अनुज्ञा पत्र धारक के कर्तव्य 12. अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी का यह कर्तव्य है कि वह--

(एक) उत्पादन और विक्रय के लिए उपरोपिका (scion)या मूलवृन्त(root-stock)से संबंधित अनुज्ञा पत्र में अंकित किस्मों में से केवल ऐसी किस्मों के फल की पौधों का ही प्रवर्धन करेगा, जैसा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी निर्देश दे;

(दो) प्रत्येक मूलवृन्त (root-stock)और उपरोपिका (scion) के मूल स्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसमें मूलवृन्त का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो, भी होगा;

(तीन) फल की पौध एवं अन्य पौध जिनका वानस्पतिक प्रवर्धन तकनीकी द्वारा प्रसारण किया जाना है, का मातृवृक्ष खण्ड रखेगा जिसके अन्तर्गत उसी प्रकार के प्रजातिवार पौध उच्च प्रबन्धन में अनुरक्षित होंगी;

(चार) केवल उन्हीं पौधों एवं प्रजातियों का वानस्पतिक प्रवर्धन करेगा, जिसका उसके पास मातृवृक्ष हो तथा पौधाशाला में प्रवर्धित पौधों की अधिकतम संख्या मातृवृक्ष खण्ड (mother block) में एसे प्रजाति/पौध की संख्या पर निर्भर करेगी;

(पांच) फल पौध प्रवर्धन हेतु नवीनतम अनुमोदित तकनीकों का उपयोग करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा--निर्देशों का पालन करेगा;

(छ) प्रवर्धित फल की पौधों में प्रजाति/पौध मिश्रण नहीं करेगा। अतः प्रवर्धन के समय तकनीकों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा;

(सात) फल की पौधों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पौधशाला स्थल एवं मातृवृक्ष को कीट एवं व्याधियों से मुक्त रखेगा;

(आठ) केवल ऐसे फल की पौधों का विक्रय या वितरण करेगा, जो किसी भी प्रकार के कीट एवं रोगों से मुक्त हो;

(नौ) अधिनियम एवं विहित उपबंधों में उल्लिखित अनुबन्धों या स्वतः घोषणा के अधीन ही पौध रोपण सामग्री किसानों, उद्यान विभाग एवं अन्य विभागों को विक्रय करेगा;

नयी खोज का पेटेंट

13. फल पौधों की कोई नयी प्रजाति खोजे जाने पर फल पौधशाला स्वामी द्वारा उसके पेटेंट की व्यवस्था के लिये आवश्यक प्रकिया अपनायी जायेगी।

लेखा बही एवं रजिस्टर का रख–रखाव

14. प्रत्येक अनुज्ञा पत्र धारक/ पौधशाला स्वामी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखाबही, रजिस्टर और अभिलेख रखेगा जो विहित की जाय। ऐसे प्रपत्रों को दस वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जायेगा।

पौधशाला का निरीक्षण एवं जॉच

15. (1) स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता युक्त पौध उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षक अधिकारी फल पौधशाला का निरीक्षण कर सकेगा तथा इस संबंध में अपनी लिखित संस्तुति/निर्देश जारी कर सकेगा।

(2) निरीक्षक अधिकारी निरीक्षण के समय कीट एवं व्याधियों की स्थिति को देखते हुए संकमित पौध एवं वृक्षों को निर्धारित समय के भीतर नष्ट करने के निर्देश जारी कर सकेगा।

(3) यदि निरीक्षक अधिकारी द्वारा विहित समय में उप– धारा (2) में दीं गयीं प्रकिया का पालन नहीं किया जाता है, तो विभाग स्वयं ऐसी पौध एवं वृक्षों को नष्ट करने की कार्यवाही कर सकेगा तथा इस प्रकिया में होने वाले

व्यय का वहन पौधशाला स्वामी करेगा, जिसकी वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से भू–राजस्व के बकाये की वसूली की भांति की जा सकेगी।

(4) उपधारा (2) एवं (3) के अधीन की कार्यवाही किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी को बिक्री योग्य वर्षाकालीन पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता की सूचना माह मई तक एवं शीतकालीन पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता की सूचना माह अक्टूबर तक अपने जिले के मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करानी होगी।

(6) अनुज्ञा पत्र धारक/पौधशाला स्वामी द्वारा बिक्री योग्य फल की पौधों की उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं जैसे–पौधों की आयु, पौधों की संरचना, मातृवृक्षों की संख्या एवं आनुवांशिक विवरण, मूलवृन्त (root-stock) तथा उपरोपिका (Scion) (यदि अन्य फल पौधशाला /संस्थाओं से प्राप्त किये गये हैं) का सत्यापन गठित विभागीय समिति द्वारा फल पौधशाला स्तर पर किया जायेगा, जिसकी आख्या समिति निदेशक, उद्यान को उपलब्ध करायेगी।

(7) समिति के सत्यापन के बाद ही फल पौधशाला से फल की पौधों की खुदान की जायेगी अन्यथा पौधों के अधिप्राप्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

पौधों की बिक्री, पैकिंग एवं लेबिल लगाना

16. (1) फलों के विक्रय हेतु फल की पौधों के प्रत्येक बण्डल की समुचित रूप से पैकिंग करते हुए लेबिल लगाना अनिबार्य होगा, जिस पर फल की पौध एवं प्रजाति का नाम अंकित हो।

(2) यदि बण्डल या पैकेट में एक से अधिक प्रकार की पौध एवं प्रजाति हों, तो प्रत्येक पौध पर लेबिल लगाया जायेगा।

(3) मातृवृक्ष खण्ड में भी समुचित रूप से लेबिल /बोर्ड लगाया जायेगा।

(4) फल पौधशाला की एक क्यारी में एक ही प्रजाति के पौध रोपण/प्रवर्धन किये जायेंगे तथा उस क्यारी में एक छोटा बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर प्रजाति का नाम अंकित होगा।

(5) यदि पौधशाला स्वामी अपनी फल पौधशाला के अतिरिक्त राज्य के किसी अन्य फल पौधशाला से फल की पौध बिक्री के प्रयोजन हेतु प्राप्त करता है तो उसे उस पौधशाला स्वामी से रु100(सौ रूपए) के स्टाम्प पेपर पर फल की पौधों की आनुवांशिक विशिष्टताओं, अपनाई गई तकनीकों, कीट–व्याधि रहित होने आदि की स्वतः घोषणा प्राप्त करनी होगी।

(6) पौध सामाग्रियों के सम्बन्ध में शासकीय एवं राज्य में स्थापित गैर शासकीय सभी पौधशालाओं के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन भी माध्यमों से पौध सामग्री खरीदें वे लाभप्रद हो यदि वह लाभप्रद न पाई जाये तो उनके लिए भी अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

कतिपय फल की पौधों का आयात–निर्यात या परिवहन को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति

17. राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाये गये किसी फल की पौधों की प्रजाति एवं विशेषता को बनाये रखने या हानिकारक कीट या पौधों के रोग से उनका संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, अज्ञात नस्ल के या किसी संक्रामक रोग या सांसर्गिक नाशीकीट या रोग से प्रभावित किन्हीं फल के पौधों को राज्य या उसके बाहर ले जाने या राज्य के भीतर उनका परिवहन करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

अपराध एवं दण्ड

18. (1) पौधशाला स्वामी जो अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह प्रथम दोष सिद्धि पर रु0 50,000 (रूपये पचास हजार) तक का जुर्माना तथा जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने कि दशा में छह माह तक का कारावास

से दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 6 माह तक का कारावास तथा रू0 50,000(रूपये पचास हजार) तक के जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की परिशिष्ट–1 के प्रस्तर 6 के अनुपालन में किसान के समस्त प्रतिकरों का भुगतान भी सम्बन्धित पौधशाला स्वामी द्वारा किया जाएगा। प्रतिकर का निर्धारण मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई कम्पनी अपराध करती है तो अपराध के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी या कम्पनी के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही और दण्ड का भागी होगाः

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या ऐसा अपराध उनकी उपेक्षा से हुआ है तो वह सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिये–

(क) 'कम्पनी' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम अभिप्रेत है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' से उस फर्म के भागीदार अभिप्रेत है।

अपराध का संज्ञान

19. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी परिवाद के सिवाय कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की शक्तियाँ

20. अनुज्ञप्ति प्राधिकारीः

(1) किसी अनुज्ञा प्राप्त पौधशाला स्वामी से उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाई जा रही फल पौधशाला के संबंध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करें।

(2) यह समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, किसी फल पौधशाला में प्रवेश कर सकेगा और उसका और उसमें स्थित पौधों एवं उससे सम्बन्धित लेखाबही और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा या करा सकेगा।

(3) फल के पौधों का नमूना ले सकेगा और उसका विश्लेषण, परीक्षण या जांच इस प्रयोग के लिए निश्चित की गई किसी प्रयोगशाला में करा सकेगा।

सद्भाव से किये गये कार्यो का संरक्षण

21. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिए आशायित किसी कार्य से हुई क्षति या सम्भाव्य क्षति के लिए राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

किसानों का प्रशिक्षण	22.		राज्य में किसानों को क्षेत्र विशेष की जलवायु की अनुकूलता के अनुसार औद्यानिक क्रियाकलापों विशेषकर फल पौधों की पौधशाला तैयार करते समय अपनाई जाने वाली उन्नत तकनीकों, बारीकियों एवं विशिष्टियों से भिज्ञ कराने हेतु विभाग द्वारा आस-पास की राजकीय फल पौधशालाओं में शैक्षिक भ्रमण (Exposure Visit) एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा जिससे किसान यदि स्वयं किसी फल पौधशाला से फल पौध क्रय करना चाहें,तो वह विशिष्ट एवं गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री बिल सहित खरीदने में सक्षम हो सके।
नियम बनाने की शक्ति	23.	(1)	इस अधिनियम के उपबन्धों को कियान्वित करने के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में फीस विहित करने के नियम भी सम्मिलित है।
		(2)	इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
सिविल न्यायालय में वाद का वर्जन	24.		इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में दिये गये किसी आदेश पर किसी सिविल न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।
राज्य सरकार द्वारा निर्देश	25.		अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में नीति सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करें।
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	26.	(1)	यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो।

और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उस आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

27. (1) उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी या किया गया समझा जायेगा।

....

परिशिष्ट–1

पौधशाला स्वामी द्वारा स्वतः घोषणा

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी..................... .... घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी फल पौधशाला में उत्पादित फल के पौधों का प्रवर्धन एवं विक्रय निम्नलिखित घोषणाओं के अधीन करूँगा/करूँगीः–

1. मेरे द्वारा उन्हीं प्रजातियों के फल पौधों के मूलवृन्त एवं उपरोपिका का प्रयोग पौध प्रवर्धन और बिक्री के लिए किया जायेगा, जिसके लिए फल पौधशाला अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किये जायेंगे।
2. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्ररुप में सम्पूर्ण अभिलेख अनुरक्षित रखे जायेगें।
3. मेरे द्वारा फल पौधशाला में उगाये जाने वाले मूलवृन्त एवं मातृवृक्षों का 'ले–आउट' तैयार किया जायेगा।
4. मेरे द्वारा फल पौधशाला प्रक्षेत्र के साथ–साथ पौध प्रवर्धन में प्रयुक्त होने वाले मातृवृक्षों को कीट एवं व्याधियों से मुक्त रखा जायेगा।
5. मेरे द्वारा बिक्री के समय की जाने वाली पैकिंग में पैक की गई प्रजाति/प्रजातियों की टैगिंग की जायेगी, जिसमें इन प्रजातियों के प्रवर्धन में उपयोग की गई मूलवृन्त एवं उपरोपिका का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जायेगा।
6. मेरे द्वारा यह भी घोषणा की जाती है कि जिन पौधों का मेरे द्वारा विक्रय या वितरण किया जायेगा वह उसी प्रजाति के होंगे जिसकी संस्तुति मेरे द्वारा की गयी है तथा वह पूर्ण रूप से कीट एवं व्याधियों से मुक्त होंगे अन्यथा किसान के समस्त प्रतिकरों का वहन मेरे द्वारा किया जायेगा। प्रतिकर का निर्धारण अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
7. मेरे द्वारा फल पौधशाला में एक पंजिका अनुरक्षित रखी जायेगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेची/वितरित की गई फल के पौधों के प्रवर्धन उपयोग में लाई गई मूलवृन्त एवं उपरोपिका का नाम अंकित होगा साथ ही उस व्यक्ति या संस्था का भी नाम एवं पता दर्ज होगा, जिसको फल का पौधा बेचा गया है। मेरे द्वारा इन पंजिकाओं को कम से कम 10 वर्षों तक अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. मेरे द्वारा पौधशाला निरीक्षण के उपरान्त फल के पौधों के स्वस्थ एवं रोग रहित पौधों के उत्पादन एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि के दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. मैं गुणवत्तायुक्त पौध प्रवर्धन एवं उनके विक्रय दर के लिए संस्तुति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।
10. फल पौधशाला में किये जा रहे कार्यो जैसे–पौधों के प्रवर्धन में प्रयुक्त मातृवृक्षों, मूलवृन्तों, कीट एवं व्याधियों, पौधों के वृद्वि एवं विकास, पौधों की गुणवत्ता एवं पौधों

की आनुवांशिक विशिष्टियों के संबंध में निरीक्षण किये जाने पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही निरीक्षण के दौरान कीट–व्याधियों से ग्रस्त पौधों को निकालनें या नष्ट करने के सुझाव दिये जायेंगे तो मै ऐसे पौधों को नष्ट करने के लिये तैयार रहूँगा/रहूँगी, जिसके लिए मेरे द्वारा किसी प्रकार के प्रतिकर की माँग नहीं की जायेगी।

11. मेरे द्वारा फल पौधशाला के पंजीकरण में सम्मिलित फसलों के अतिरिक्त अन्य किसी फसल का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

12. मेरे द्वारा उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019 में दिये गये समस्त प्रावधानों एवं शर्तों का पालन किया जायेगा।

13. यदि मेरे द्वारा उपरोक्त कथन या उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 2019 में उल्लिखित प्रावधानों का किसी भी रुप में उल्लंघन होता है तो अधिनियम में वर्णित दण्ड का भागीदारी बनूँगा/बनूँगी।

पौधशाला स्वामी के हस्ताक्षर..

पौधशाला स्वामी का नाम..

पौधशाला स्वामी के पिता/पति का नाम..............................

फल पौधशाला का नाम एवं पता.......................................

दिनांक– ....

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

1. फल नर्सरी के नियमन के लिए उत्तर प्रदेश फल नर्सरी (विनियमन) अधिनियम, 1976 पूर्व राज्य उत्तर प्रदेश में लागू था। यह अधिनियम वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लागू था। यह अधिनियम वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के तहत उत्तराखंड राज्य में लागू है।
2. उत्तराखंड राज्य की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, फल नर्सरी के पंजीकरण, फलों के पौधों के प्रचार, नई खोजों के पेटेंट, फलों के पौधों की बिक्री आदि और उत्तराखंड राज्य में अन्य प्रावधानों से संबंधित प्रावधान करना अपरिहार्य है।
3. प्रस्तावित विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य को पूरा करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री